रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार व्दारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ, बृहस्पितिवार, 20 अप्रैल, 2000

चत्र 31 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

सं0 क0नि0-5-1307/11-2000-500(80)-98

लखनऊ, 20 अप्रैल, 2000

अधिसूचना

आदेश

प0आ0 -376

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय- समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते है कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छः मास की अवाधि के लिये उक्त भूमि में पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के अनुसूचति 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड क के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गई प्रतिफल को धनराशि से ऐसे नजूल भूमि के बाजार भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते है ।

परन्तु यह कि यह अधिसूचना नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमंत्रण के व्दारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से सम्बिन्धित मामलोंमें लागू नही होगी ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये शब्द प्रतिफल का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार्य और उस ब्याज यदि कोई हो तो राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो से है ।

आज्ञा से,
टी0जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव ।